वाणिज्य – जोधपुर डिस्कॉम/ 481

जोधपुर
[redacted] विद्युत वितरण निगम लिमिटेड [redacted]
जोधपुर

क्रमांक : जोडि/प्र.नि./मु.अ. (सी. एण्ड पी.)/अ.अ. (आर.ए. एवं सी)/फा० /प्रे० 2298 दिनांक 21.2.09

आदेश

विषयः– शहरी क्षेत्र में गरीबी "गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों" (BPL) को रियायती दरों पर घरेलू सेवा के कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

******

वर्तमान में शहरी क्षेत्र में "गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों" (BPL) को घरेलू श्रेणी के कनेक्शन लेने के लिये "स्थाई चार्जेज" के अलावा अन्य राशियाँ जैसे कि लेबर एवं सुपरविजन चार्जेज, विद्युत उपभोग अमानत राशि, मीटर अमानत राशि एवं मीटर बक्से की कीमत भी जमा करानी पडती है। इस संबन्ध में प्रायः यह देखा गया है कि उपरोक्तानुसार जारी डिमाण्ड नोट की राशि शहरी क्षेत्र के बी०पी०एल० परिवारों द्वारा जमा कराने में असमर्थता दर्शायी जाती है। अतः उनके द्वारा कनेक्शन नही लिया जाता है।

इस विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्र के बी०पी०एल० परिवारों को भी घरेलू श्रेणी का कनेक्शन, शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में दिये जा रहे कनेक्शन की तरह रियायती दरों पर जारी किये जायेगें।

अतः शहरी क्षेत्र के बी०पी०एल० परिवारों को घरेलू श्रेणी के कनेक्शन निम्नानुसार रियायती दरों पर दिये जायेगें:–

1.	स्थाई, लेबर एवं सुपरवीजन चार्जेज	रू. 2500/–
2.	मीटर अमानत राशि एवं मीटर बक्से की कीमत	रू. शुन्य
		रू. 2500/–

उपरोक्त राशि के अलावा एल.टी. लाईन के पेटै अन्य कोई राशि नही ली जायेगी। आवेदक को 100/– प्रति कि०वा० सम्बद्ध भार (Connected Load) के हिसाब से विद्युत उपभोग अमानत राशि 6 (Six) द्वि–मासिक किश्तों में चालू विद्युत बिलों के साथ-साथ जमा करानी होगी।

उपरोक्त रियायती दरों की सुविधा लेने के लिये आवेदक को जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बी०पी०एल० परिवार होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

आज्ञा से

(एस.के. कुलश्रेष्ठ)
मुख्य अभियन्ता (सी एण्ड पी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोटः– यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेब साईट www.rajenergy.com / www.jdvvnl.com पर भी उपलब्ध है।

C:\Mydoc\order (Comm)